न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 34/2022
दायर दिनांक : 02/05/2022
निर्णय दिनांक : 24/05/2022

उनवान

1. चन्दरूबाई पत्नी गोपीलाल ओड़ निवासी रिठोला तहसील चित्तौड़गढ़
2. जोगेन्द्र पिता गोपीलाल ओड़ निवासी रिठोला तहसील चित्तौड़गढ़
3. रतनलाल पिता गोपीलाल ओड़ निवासी रिठोला तहसील चित्तौड़गढ़

प्रार्थी

बनाम

1. भैरूलाल पिता टेका माली निवासी कानाखेड़ा
2. दीपा पिता काना माली निवासी कानाखेड़ा
3. गोपीलाल पिता घीसा ओड़ निवासी ओडा का खेड़ा
4. भैरू पिता परथू ओड़ निवासी ओडों का खेड़ा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित, बार–बार आवाजे लगाने पर भी उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थिया रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा पटवार हल्का **ओडों का खेड़ा** तहसील भूपालसागर की आराजी संख्या **327 रकबा 0.84 है., आ.सं. 328 रकबा 0.12 है., आ.सं. 329 रकबा 0.36 है., आ.सं. 330 रकबा 0.48 है., आ.सं. 331 रकबा 0.34 है. आ.सं. 332 रकबा 0.07 है., आ.सं. 333 रकबा 0.10 है., आ.सं. 386/335 कुल किता 8 रकबा 2.45 है.** हैक्टेयर भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.01 11:39:06 IST
Reason: SelfAttested

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)